

ग्रामीण  
भूमि  
का  
पर्याप्त

356

न्यायालयीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर ₹३००००

331  
28-6-13



461

अधिकारी सत्तोदामी गुरु  
"रत्नभाला" द्वारा घुस्तुत  
रोल, दि. 28-6-13

1/32

22-7-13

R. 2945-III/13

1. बेदान्ती प्रसाद पिता नारदमुनि ब्रा.
2. निरंजनलाल पिता राजराखन राम ब्रा.
3. लालबहादुर पिता राजराखन राम ब्रा.
4. बैजनाथ पिता बासुखराम ब्रा.
5. शिवकुमार चतुर्भवी
6. राजकुमार चतुर्भवी
7. किंजित कुमार चतुर्भवी
8. सरोज कुमार चतुर्भवी उक्त अना. क. 5 से 8 के पिता हीरामणि चौके
9. जगत्साहन पिता सुमन्तराम ब्रा.
10. रामजी पिता सुमन्तराम ब्रा.
11. रामलला चतुर्भवी
12. बाबूलाल चतुर्भवी
13. छोटेलाल चतुर्भवी
14. श्रीकान्त चतुर्भवी अना. क. 11 से 14 के पिता कालीचरण चतुर्भवी
15. राधेश प्रसाद पिता रोहिणी प्रसाद ब्रा.
16. प्रकाश नारायण चतुर्भवी पिता रोहिणी प्रसाद ब्रा.
17. विद्यानन्द
18. रमाकान्त
19. विष्णुनन्द
20. कृष्णनन्द
21. ब्रह्मानन्द अना. क. 17 से 21 के पिता बद्देराम ब्रा.
22. जगीत कुमार उक्त अना. क. 17 से 21 के पिता लमाकान्त ब्रा
23. गैवालाल पिता साधूराम
24. सचित्तानन्द पिता साधूराम
25. राजीबलोचन पिता साधूराम
26. जबाहरलाल पिता कुन्जनाथ ब्रा.
27. अमरनाथ पिता गोपीनाथ
28. लक्ष्मेन्द्रनाथ पिता गोपीनाथ
29. बीरेन्द्र पिता गोपीनाथ
30. उचागिर लाल पिता मोराटकराम ब्रा.

31. सुग्रीदेवी बेबा चत्नी जगतनारायण ब्रा.
32. रामकुमार पिता जगतनारायण ब्रा.
33. कृष्णकुमार पिता जगतनारायण ब्रा.
34. स्थ्रीकर पिता जगतनारायण ब्रा.
35. सुशीलदेवी चति अरबिन्द देव वाण्डेव पिता स्व. जागेश्वर प्रसाद ब्रा.
36. निवासी ग्राम रमेश्वर तह. देवसर जिला सिंगरौली ₹५०००
37. महेन्द्र प्रसाद पिता नरेन्द्रदत्त राम ब्रा.
38. नीरज कुमार चतुर्वेदी पिता प्यारेलाल चतुर्वेदी
39. मु. बसन्तमा बेबा चत्नी नरेन्द्रदत्तराम ब्रा.
- आवेदक नं. 35 को छोड़कर सभी आवेदकगण निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली ₹५०००।

आवेदकगण

#### बनाम

1. इग्रामकार्तिक पिता अश्रुनि चतुर्वेदी
2. कमलेश पिता अश्रुनि चतुर्वेदी दीनो का भेजा खेती निवासी ग्राम कोल्हुआ तहसील देवसर जिला सिंगरौली ₹५०००।
3. धरबेन्द्र प्रसाद पिता सुखपति प्रसाद चतुर्वेदी
4. सत्येन्द्र प्रसाद पिता सुखपति प्रसाद चतुर्वेदी
5. सत्यमामा चति इग्राम शुभन देव वाण्डेव निवासी ग्राम खड़कड़ तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली ₹५०००।
6. चन्द्रकान्त पिता कपिलमुनि
7. अवधेश पिता कपिलमुनि
8. गुप्तनाथ पिता अदंकराज ब्रा.
9. उदयनाथ पिता अदंकराज ब्रा.
10. द्वेरेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
11. देवेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
12. नृपेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
13. अमरेन्द्र नाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
14. श्रूपेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
15. ज्ञानेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
16. राजीव कुमार पिता नर्बदा प्रसाद चतुर्वेदी
17. अजय कुमार पिता नर्बदा प्रसाद चतुर्वेदी
18. रतनकुमार पिता इन्द्रदत्तराम ब्रा.
19. रामाधार पिता इन्द्रदत्तराम ब्रा.
20. केशवप्रसाद पिता प्रतापराम चौधे

21. अच्युता प्रसाद पिता प्रतापराम चौबे
22. अशोक कुमार पिता प्रताप राम चौबे
23. अरविन्द कुमार पिता प्रतापराम चौबे
24. अनिस्द्ध प्रसाद पिता किंबनाथ राम ब्रा. अना.क्र. 1,2,5 को छोड़कर सभी का निवास ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र००

अना बेदकगण

निगरानी विस्त्र आदेश अपर क्लेक्टर महोदय बैठन के निगरानी प्र.क्र. 243/10-11 आदेश दिनांक 29.4.2013  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.  
संहिता 1959

मा न्यबर,

प्रकरण के सम्बन्ध तथा-  
=====

१। यह कि अना बेदक क्र. 2,3 द्वारा प्रकरण में बतायी गयी विवादित भूमियों का बजाय अना बेदकगण अपने पक्ष में जरिए आयसी हिस्सा बांट में प्राप्त कर लेने के आधार को प्रकट कर तहसीलदार देवसर के बहाँ से नामान्तरण बंजी पर नामान्तरण को अविवादित होना दर्शित कर नामान्तरण करावें जिसकी जानकारी प्राप्त कर लेने के समय में अना बेदक क्र. 2 व 3 द्वारा एस.डी.ओ. देवसर के न्यायालय में प्रक्रम अधील प्रस्तुत की गई, एस.डी.ओ. देवसर द्वारा प्रक्रम अधील म्बाद अंदर प्रस्तुत होना स्बीकार की गई जिस आदेश के विस्त्र अना.क्र. 1 व 2 द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई, अधीनस्थ न्यायालय में प्रक्रम अधील को प्रस्तुत न होने के आधार पर निगरानी स्बीकार की व अधीनस्थ अधीली न्यायालय के अदेश को निरस्त किया जिसके बिस्त्र यह निगरानी निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

क- यह कि अधीनस्थ निगरानी न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विस्त्र होने से निरस्त किये जाने के बोग्य है।

ख- यह कि अधीनस्थ तहसीलदार ने विवादित नामान्तरण के मामले में छिपाव पूर्ण स्थित में बंजी पर नामान्तरण प्रमाणित किया है अतएव ऐसी दशा में नामान्तरण से हित रखने वाले प्रतिवक्ष पर विधिवत नामान्तरण से सूचना होना नहीं माना जा सकता व अधीनस्थ अधीली न्यायालय ने प्रक्रम अधील को म्बाद अंदर होने का आदेश करने में उचित निर्णय लिया है तथा अधीनस्थ निगरानी न्यायालय का उक्त के संबंध में विवरीत निर्णय व निकर्ष अनुचित है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2945-~~१०~~/2013

जिला-सिंगरौली

वेदान्ती प्रसाद/श्यामकार्तिकि

(1)

(2)

(3)

24.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 243/निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

*म*  
*म*  
(बी.एम.शर्मा),  
सदस्य